मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय
संख्या 1429
दिनांक 02/02/2024
नगर निगम, वाराणसी

अपर नगर आयुक्त (प्रथम) कार्यालय
संख्या 543-G
दिनांक 01.2.2024
नगर निगम, वाराणसी

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या- 108/नौ-9-2024-42ज/23
लखनऊ, दिनांक- 17 जनवरी 2024

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 को बनाने का प्रस्ताव करती है; उसके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या-1131/नौ-9-2023-42ज/2023 दिनांक-30 जून, 2023 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सात दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि पूर्वोक्त अधिसूचना संख्या-1131/नौ-9-2023-42ज/2023, दिनांक-30 जून, 2023 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1648/नौ-9-2023-42ज/2023, दिनांक-15 सितम्बर, 2023 द्वारा विचार किया गया;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश, नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम-4 क का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम-4-क के उपनियम (2) की अनुसूची में-

(एक) नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्-

स्तम्भ-एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	**सम्पत्ति का विवरण**	**अनावासिक भवन की किराए की दर**	**श्रेणी**	**सम्पत्ति का विवरण**	**अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर**
6.	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 6 गुना	6.	माल्स, पर्यटन विभाग से अरजिस्ट्रीकृत होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना

(दो) नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी क्रम संख्या 8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्-

स्तम्भ-एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	**सम्पत्ति का विवरण**	**अनावासिक भवन की किराए की दर**	**श्रेणी**	**सम्पत्ति का विवरण**	**अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर**
8.	औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना	8.	औद्योगिक इकाइयाँ, स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाइयां जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हों, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 108(1)/नौ–9–2024–42ज/23 तददिनांक।

प्रतिलिपि–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक– 17 जनवरी, 2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट, भाग–4 के खण्ड–ख में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मो० वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या– 108(2)/नौ–9–2024–42ज/23 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रधान स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,** उ0प्र0 शासन।
2. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,** उ0प्र0 शासन।
3. **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,** उ0प्र0 शासन।
4. **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. **स्थानिक आयुक्त,** उ0प्र0 शासन नई दिल्ली।
7. **समस्त अनुभाग,** नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. **निजी सचिव, मा0 मंत्री,** नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. **कम्प्यूटर सेल,** नगर विकास विभाग को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(मो० वासिफ)
अनु सचिव।

UO-5

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution. the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 108/ IX-9-2024-42J/2023 dated 17 January, 2024 :

No. 108 /IX-9-2024-42J/2023
Lucknow : Dated : 17 January, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) was published, as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act, vide Government Notification no. 1131/IX-9-2023-42J/2023, dated 30th June, 2023 inviting objections and suggestions in respect thereof within seven days from the date of publication of the afore said notification in the Gazette;

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the aforesaid Notification no. 1131/IX-9-2023-42J/2023 dated 30th June, 2023 were considered vide Office Memorandum no. 1648/IX-9-2023-42J/2023 dated 15th September, 2023 ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, namely:-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title, extent and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023. (2) They shall be applicable to all Municipal Corporations of the State of Uttar Pradesh. (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.
Amendment of rule 4-A	2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000 in the Schedule to sub- rule (2) of rule 4-A :-

(i) for the existing entries at serial no.6 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted. namely :-

COLUMN-I *(Existing entry)*			**COLUMN-II** *(Entry as hereby substituted)*		
Category	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non- residential building**	**Category**	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non- residential building**
6.	Malls, Hotels of four stars and above, pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub - rule (1)	6.	Malls, hotels not registered with Tourism Department; pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub-rule (1)

(ii) for the existing entries at serial no.8 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I *(Existing entry)*			**COLUMN-II** *(Entry as hereby substituted)*		
Category	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non-residential building**	**Category**	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non-residential building**
8.	Industrial units, offices of Government, Semi - Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)	8.	Industrial units, star category Hotels and resorts, and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, offices of Government, Semi-Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary